कार्यालय
निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाये,
उत्तराखण्ड,
पो0ओ0 गुजराडा, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून–248001, उत्तराखण्ड।

शास्त्रीय औषधियों की आपूर्ति हेतु निविदा प्रपत्र–वर्ष 2025–26 (पी0एस0यू0)

1	निविदा संख्या :– 8245/ लेखा–618 / 2025–26	दिनांक– 05.12.2025 समय 03:00 बजे से
2	निविदा वेबसाइट Uktenders.gov.in पर उपलब्ध होने की तिथि	दिनांक 05.12.2025 से दिनांक 12.12.2025 प्रातः 12:00 बजे तक
3	तकनीकी बिड खोलने की तिथि	दिनांक : ~~12.12.2025~~ 15-12-2025 को अपराहनः 03:00 बजे से
4	वित्तीय बिड खोलने की तिथि	तकनीकी निविदा के पश्चात निर्धारित की जायेगी
5	तकनीकी बिड खोलने का स्थान–	आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, निदेशालय डांडा लखोण्ड, सहस्त्र धारा रोड़, देहरादून
6	प्रि–विड मिटिंग की तिथि	प्रि–विड मिटिंग दिनांक : 08.12.2025 को अपराहन 04:00 बजे से ऑन लाइन होगी, जिसका विस्तृत विवरण नियम/ शर्तो में उल्लेख किया गया है।
7	प्रि–विड मिटिंग का स्थान	आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, निदेशालय डांडा लखोण्ड, सहस्त्र धारा रोड़, देहरादून
8	फर्म का नाम व पता–	
9	फर्म का जी.एस.टी. पंजीयन संख्या	
10	फर्म का आयकर PAN–	
11	धरोहर राशि की धनराशि	

1. धरोहर राशि का विवरण–

बैंक का नाम	F.D.R संख्या	दिनांक	धनराशि

निविदादाता फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
प्रतिनिधि का नाम...
दूरभाष संख्या ....
मोबाईल नम्बरः ....

ई–निविदा से सम्बन्धित सामान्य नियम/शर्ते

1- राज्य योजनान्तर्गत आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधियों के क्रय हेतु आंवटित धनराशि से उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों, एलोपैथिक चिकित्सालयों में संचालिक आयुष विंगों तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित आयुष विंगो हेतु शास्त्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधियां क्रय की जायेगी।

2- निविदायें केवल केन्द्र सरकार/राज्य सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की मूल औषधि निर्माण इकाईयों एवं स्टेट को–आपरेटिव की मूल औषधि निर्माण इकाइयों एवं **WHO-GMP** अथवा **AYUSH Premium Mark Certificate** धारक निर्माणशाला से ही (Central public Sector Undertaking Under Ministry of AYSH or From other Central/State Central public Sector Undertaking, Pharmacies Under State Governments and under Co-operatives. से आमंत्रित की जाती है, जिसके सम्बन्ध में केन्द्र/राज्य सरकार का उपक्रम होने का प्रमाण–पत्र (भारत सरकार /राज्य सरकार के शासन स्तर पर सम्बन्धित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव स्तर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जो एक वर्ष पुराना न हो, ही मान्य होगा।) संलग्न करना होगा। उक्त के अतिरिक्त अन्य स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

3- निविदायें जी0एम0पी0 धारक मूल औषधि निर्माण ईकाइयो लाईसेन्स **25 D, 26 D, and 26E(1)** तथा **WHO-GMP/AYUSH Premium Mark Certified** धारक इकाईयों से आमंत्रित की जाती है।

4- मूल औषधि निर्माण इकाईयो के पास कम से कम 10 औषधियो हेतु **WHO-GMP** अथवा **AYUSH Premium Mark Certificate** होना अनिवार्य है। निविदा प्रपत्रो के साथ औषधियो के **WHO-GMP** अथवा **AYUSH Premium Mark Certificate** जमा कराना अनिवार्य है।

5- निविदादाता फर्म द्वारा उत्पादित औषधिया न्यूनतम 01 वर्ष से खुला बाजार (Open Market) मे बिक्री हेतु उपलब्ध होनी आवश्यक है।

6- आपूर्ति की जाने वाली एक औषधि एक ही बैच की होनी चाहिए।

7- 25 प्रतिशत से अधिक अधोमानक पाये जाने पर औषधि आपूर्ति आदेश निरस्त किये जाने हेतु विभाग स्वंतत्र होगा।

8- निविदा मे उल्लिखित समस्त औषधिया/क्रय आदेश मे उल्लिखित औषधियो को फर्मो के द्वारा अधिकतम 45 दिवस के अन्तर्गत आपूर्ति की जानी है।

9- स्टेट कॉ–आपरेटिव हेतु सम्बन्धित राज्य के रजिस्ट्रार से निर्गत प्रमाण पत्र मान्य होगा जिसमे यह स्पष्ट होगा कि सम्बन्धित कॉ–आपरेटिव राज्य सरकार का कॉ–आपरेटिव है अथवा निजी क्षेत्र मे संचालित नही है। निजी क्षेत्र मे पंजीकृत/संचालित कॉ–आपरेटिव की निविदा स्वीकार नही की जायेगी।

10- निविदायें दिनांक 05.12.2025 समय अपराहन 03:00 बजे से दिनांक 12.12.2025 प्रातः 12:00 बजे तक उत्तराखण्ड सरकार की वेबसाइट https://Uktenders.gov.in पर केवल ऑनलाईन भरने हेतु उपलब्ध

रहेंगी। ऑन लाईन बिड भरने हेतु फर्मो को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये DSC(digital signature certificate) की आवश्यकता होगी।

11- ऑफ लाइन बिड स्वीकार नहीं की जायेगी।

12- <u>प्रि–विड मिटिंग</u> प्रि विड मीटिंग दिनांक 08.12.2025 को अपरान्ह 4.00 बजे से ऑन लाइन वचुअल होगी जिसका लिंक meet.google.com/bfz-erzr-evy है।

13- <u>प्रपत्रों को प्रेषित करने का माध्यम</u>–निविदादाता को ऑनलाइन बिड भरते समय संलग्नक "क" पर उपलब्ध चैक लिस्ट के अनुसार समस्त पपत्रों की स्कैन की हुई प्रतियां ऑनलाईन अपलोड करनी होगी। समिति के सम्मुख केवल निविदादाता द्वारा स्कैन की हुई प्रतियां आनलाईन अपलोड प्रपत्रों को ही प्रस्तुत किया जायेगा। निविदा से सम्बन्धित सभी प्रपत्रों में पृष्ठ संख्या अनिवार्य रूप से डाली जाय, तथा प्रपत्रों को संलग्नक "क" के अनुसार ही प्रस्तुत किया जाय जिसमें पृष्ठ संख्या...........से....... तक अनिवार्य रूप से अंकित किया जाये ।

14- उक्त निविदा मे केवल ए0पी0आई0/ए0एफ0आई0 मे वर्णित औषधियो का ही क्रय किया जा रहा है।

15- <u>धरोहर धनराशि</u> धरोहर धनराशि राशि <u>रू0–. 420000.00 (रूपये चार लाख बीस हजार मात्र</u>) की एफ0डी0आर0 के रूप में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैक द्वारा निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाये, उत्तराखण्ड, देहरादून के नाम बन्धक हो, को दिनांक : 12.12.2025 समय प्रातः 12:00 बजे तक मूल रुप में निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय <u>अनिवार्य रूप से</u> उपलब्ध करायी जायेगी <u>धरोहर धनराशि के अभाव में निविदा स्वीकार नही की जायेगी</u>। जिन फर्मो की धरोहर धनराशि राशि की एफ.डी.आर. निदेशालय में पूर्व से जमा करायी जा चुकी है उनके द्वारा पुनः धरोहर धनराशि राशि प्रस्तुत करनें की आवश्यकता नही होगी।

16- <u>निविदा शुल्क</u> – निविदा शुल्क की धनराशि रू0–5000.00 (पांच हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाये, उत्तराखण्ड, देहरादून के नाम से जारी होगाा तथा उक्त धनराशि का बैंक ड्राफ्ट धरोहर धनराशि के साथ ही प्रस्तुत किया जायेगा।

17- <u>वांछित आवश्यक प्रपत्र</u> ऑनलाईन निविदा भरते समय संलग्नक "क" पर उपलब्ध चैक लिस्ट के अनुसार प्रपत्रों की स्कैन की हुई प्रतियां ऑन लाईन अपलोड करनी होंगी। उक्त के अतिरिक्त सभी प्रपत्रों की एक–एक प्रति, धरोहर धनराशि के साथ शीलबन्द लिफाफे में निर्धारित तिथि तक उपलब्ध करायी। उक्त प्रपत्र समिति के सम्मुख उस स्थिति में ही प्रस्तुत किये जायेगा यदि किसी फर्म द्वारा स्कैन किया हुआ ऑनलाइन प्रपत्र समिति के पढनें में न आ रहा हो निविदा मे फर्म द्वारा ऑन लाइन अपलोड प्रपत्र ही मान्य होंगे।

18- <u>औषधियों के दो–दो नमूने उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में</u>– निविदादाता द्वारा तकनीकी बिड में जिन औषधियों की सूची दी गयी है, उन औषधियों के दो–दो नमूने अलग–अलग पैकिंग सहित सील बन्द कर, जिस पर औषधियों की सूची चस्पा हो, तकनीकी निविदा खोलने की अन्तिम तिथि से पूर्व निदशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। निविदादाता द्वारा निविदा अन्तिमीकरण की तिथि से एक माह अवधि के अन्तर्गत स्वयं के व्यय पर ऐसे नमूने वापस लिए जा सकते है तत्पश्चात उनकी वापसी सम्बन्धी कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा। हो। जिन फर्मो के द्वारा पूर्व में औषधियों के नमूना निदेशालय में पूर्व में जमा कराये गये हो उनके द्वारा औषधियों के नमूना पुनः प्रस्तुत करनें की आवश्यकता नही होगी।

19- <u>नॉन कन्विक्शन प्रमाण</u>–नॉन कन्विक्शन प्रमाण (NON- CONVICTION) पत्र जो एक वर्ष से पुराना न हो। नॉन कन्विक्शन प्रमाण सम्बन्धित राज्य के लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा निर्गत, मान्य होगा। विभाग की इसमें कोई जिम्मेदारी नही होगी कि नॉन कन्विक्शन प्रमाण निर्गत किये जाने हेतु लाइसेंसिंग अधिकारी अधिकारी के द्वारा सम्बन्धित फर्म की <u>जांच/निरीक्षण</u> किसी स्तर से करायी गया हो।

20- क्रय की जाने वाली औषधियों की मात्रा घट बढ सकती है।

21- उक्त निविदा निविदा जारी होने की तिथि से एक वर्ष हेतु वैद्य रहेगी। राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा निविदा प्रकाशित के पश्चात वर्तमान में आवंटित धनराशि के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु धनराशि आवंटित की जाती है तो उस हेतु अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार कार्यपूर्ति प्रतिभूति संविदा मूल्य के 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत फर्म को धरोहर धनराशि की एफ0डी0आर0 पृथक से देनी होगी।

22- जिन फर्मो द्वारा पूर्व मे औषधि सैंपल एवं एफ0डी0आर0 जमा किये गये है उन्हे पुनः औषधि सैंपल एवं एफ0डी0आर0 जमा करने की आवश्यकता नही है।

23- औषधियों को राज्य के समस्त जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी कार्यालय (देहरादून, टिहरी गढवाल (स्थित नरेन्द्र नगर), उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, चमोली (स्थित गोपेश्वर), पौड़ी, हरिद्वार, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, नैनीताल (स्थित भीमताल), पिथौरागढ़ एवं ऊधमसिंह नगर के औषधि भण्डार तक पहुचानें का दायित्व आपूर्तिकर्ता का होगा। फर्म अपने व्यय पर ही औषधि आपूर्ति सुनिश्चित करेगी, इसके लिए कोई अतिरिक्त दुलान व्यय देय नहीं होगा, किसी भी दशा में क्षरण पूर्ति स्वीकार्य एवं देय नहीं होगी। अतः गन्तव्य स्थान तक पहुचानें हेतु दरे F.O.R होंगी। संलग्नक "ग" के अनुसार सहमति पत्र पर अनुबन्ध करना होगा।

24- औषधियों को राज्य के समस्त जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी कार्यालय (देहरादून, टिहरी गढवाल (स्थित नरेन्द्र नगर), उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, चमोली (स्थित गोपेश्वर), पौड़ी, हरिद्वार, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, नैनीताल (स्थित भीमताल), पिथौरागढ़ एवं ऊधमसिंह नगर के औषधि भण्डार तक पहुचानें का

दायित्व आपूर्तिकर्ता का होगा। फर्म अपने व्यय पर ही औषधि आपूर्ति सुनिश्चित करेगी, इसके लिए कोई अतिरिक्त दुलान व्यय देय नहीं होगा, किसी भी दशा में क्षरण पूर्ति स्वीकार्य एवं देय नहीं होगी। अतः गन्तव्य स्थान तक पहुचानें हेतु दरे F.O.R होंगी। संलग्नक "ग" के अनुसार सहमति पत्र पर अनुवन्ध करना होगा।

25- औषधियों की आपूर्ति, निदेशालय से आदेश निर्गत होने की तिथि से 45 दिवस के अन्तर्गत करनी होगी। आदेश निर्गत होने के पश्चात समयान्तर्गत आपूर्ति न करने की दशा में निम्नानुसार अर्थदण्ड (Penalty)देय होगा।

1.	01 (प्रथम) दिन से 05 वें दिन तक	3%
2.	06 वे दिन से 10 वें दिन तक	5%
3.	11 वे दिवश से 15 वें दिन तक	12%

यदि 60 (45+15) दिन के अन्तर्गत भी आपूर्ति नही की जाती है तो विना पूर्व सूचना दिये आपूर्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा तथ L2 से औषधि आपूर्ति हेतु आदेश निर्गत किये जायेंगे, तथा फर्म को ब्लैक लिस्टिड करने की कार्यवाही कीये जाने के लिये विभाग स्वतंत्र होगा। इस हेतु संलग्नक "घ"के अनुसार नोटरी द्वारा प्रमाणित रू0 100/- स्टाम्प पेपर पर सहमति पर पत्र देना होगा।

26- **<u>औषधियों की गुणवत्ता</u>**–औषधियों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला अथवा अधिकृत प्रयोगशाला से समस्त औषधियों की 100 प्रतिशत गुणवत्ता की जांच की जायेगी।

27- यदि आपूर्ति के उपरान्त यथा प्रमाणिक संस्थाओं द्वारा औषधियां मानकों के अनुरूप अथवा गुणवत्ता युक्त नहीं पायी जाती है, आपूर्ति कर्ता फर्म को स्वयं के व्यय पर दस दिवस के अन्दर औषधि वापस प्राप्त करनी होगी तथा निर्धारित समायान्तर्गत उच्च गुणवत्ता युक्त औषधियों की आपूर्ति करनी होगी, ऐसा न करने पर सम्बन्धित फर्म द्वारा बन्धक के रूप में दी गई धनराशि को जब्त करते हुए फर्म को ब्लैकलिस्टेड करने की कार्यवाही की जायेगी।

28- किसी भी प्रकरण के वाद का क्षेत्र देहरादून होगा।

29- सभी औषधियों की दरे इंगित करते समय जी.एस.टी./सी.जी.एस.टी (GST & CGST) को पृथक रूप से अंकित किया जाय।

क्रमसं0	कार्यालय का नाम	पत्राचार का पता	निविदा के सम्बन्ध में अधिक जानकारी हेतु निम्न मो0 नम्बर पर सम्पर्क किया जा सकता है।

04/12/25

औषधियों की आपूर्ति हेतु आवश्यक नियम/शर्ते

1. गोली(Tablet) या कैप्सूल प्लास्टिक/ग्लास की पैकिंग पर प्रत्येक मद के सामने उल्लिखित इकाई के अनुसार औषधियों का नाम, बैच संख्या, विनिर्माण की तारीख तथा समापन की तिथि एवं "केवल उत्तराखण्ड राज्य के लिए शासकीय आपूर्ति हेतु बिक्री के लिए नही है" अंकित करना अनिवार्य है।

औषधियों की निर्माण/प्रयोग की अवधि

1. (क) क्वाथ (चूर्ण और प्रवाही) चूर्ण अवलेह, पाक, गुटी घृत की आपूर्ति की दशा में और ऐसे प्रोडक्ट जिनमें ऐसे रूपकारी तत्व अन्तर्विष्ट है, के आपूर्ति की दशा में आपूर्ति की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर विनिर्मित की गई होनी चाहिए।

   (ख) आसव आरिष्ट निर्मितियां, आपूर्ति के समय पर कम से कम छः मास पुरानी होनी चाहिए।

   (ग) निविदा के प्रति आपके द्वारा प्रस्तावित प्रत्येक बैच के बाबत प्रत्येक बोतल/पैकिट/टीन आदि पर विनिर्माण की तारीख, बैच सं0 ओर मुख्य संघटक एवं समापन तिथि स्पष्ट रूप से अंकित होना आवश्यक है। बाह्य लिफाफे, कार्टन एवं ट्यूब पर भी बैच सं. ओर निर्माण की तारीख एवं समापन की तिथि अंकित होनी आवश्यक है।

   (घ) प्रदत्त शास्त्रीय औषधियों निर्मित के किसी भी रूप में जैसे बूंदे/टिकिया/कैप्सूल/सिरप/मलहम/अवलेह आदि आपूर्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर विनिर्मित की गई होनी चाहिए।

2. औषधियों की पैंकिग के लिए ड्रग्स एवं कोस्मेटिक एक्ट 1940 एवं ड्रग्स एवं कोस्मेटिक रूल 1945 तथा समय–समय पर इस सम्बन्ध में जारी निर्देशो के अनुरूप होना आवश्यक है।

   (क)सभी उत्पाद और अन्य कार्टन/रैपर आदि के लेबल अत्यन्तः स्पष्ट अक्षरों में चिन्हित होने चाहिए।

   (ख) उत्पाद के लेबल ओर बाह्य पैकिंग (कार्टन/रैपर) जब कभी उत्पाद बाह्य पैकिंग सहित आपूर्ति किया जाता है तब उस पर भी (उत्तराखण्ड राजकीय आपूर्ति, विक्रय के लिए नहीं (Not for Sale) मुद्रित /चिपकाया गया होना चाहिए।

   (1) आयुर्वेदिक/यूनानी औषधि
   (2) ग्रंथ संकेत
   (3) औषधि का नाम
   (4) औषधि के घटक एवं मात्रा
   (5) लाईसेंस संख्या
   (6) विनिर्माण की तिथि
   (7) समापन तिथि
   (8) पैकिंग के अन्दर औषधि का वनज (गोलीयों की संख्या) आदि अंकित होनी चाहिये)
   (9) औषधि का वजन METRIC प्रमणली में अंकित होना चाहिये।
   (10) निर्माता का नाम एवं पता मेल आई.डी. आदि
   (11) लेवल हिन्दी एवं अग्रेजी भाषा में होना चाहिये
   (12) फर्म द्वारा जी.एम.पी. प्राप्त होने का उल्लेख होना चाहिये

3. उत्पाद की असलियत और अन्तर्वस्तु की अन्य शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी बोतल/ टिन/प्लास्टिक कन्टेनर आदि पिलफर प्रूफसील से किया जाना अपेक्षित है। पैकिंग को सील करने के लिए चिकने कागज का प्रयोग न किया जाय।

(क) आसव, आरिष्ट, तैल, क्वाथ (प्रवाही), घृत, अवलेह, लवण और क्षार की पैकिंग कांच या प्लास्टिक (खाद्य श्रेणी) की बोतल में किया जाए।

(ख) सीरप रूप में जो अवलेह हों, उनका पैकिंग सकरें मुंह वाली कांच/प्लास्टिक की बोतलों में किया जाए।

(ग) अवलेह और घृत की पैकिंग चौडे मुंह कांच/प्लास्टिक कन्टेनर में किया जाए।

(घ) चूर्ण और क्वाथ चूर्ण की पैकिंग टिन/प्लास्टिक कन्टेनर में किया जाए। भीतरी पैकिंग केवल खादय पालिथिन के थैलों में की जाए।

4. सम्बन्धित भण्डार को आपूर्ति की जाने वाली औषधियों के सभी लेबल हिन्दी एवं अंग्रेजी में लिखे होने चाहिए। सम्बन्धित भण्डार द्वारा कोई टी0आर0/आर0आर0 और डाक पार्सल स्वीकार नहीं किए जाएंगे। माल केवल सम्बन्धित जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के कार्यालयों के स्टोर/निर्धारित भण्डार में ही उपलब्ध कराया जाना होगा।

5. निविदा प्रपत्र में औषधि की दरें उल्लिखित पैकिंग के अनुसार ही अकिंत होना अनिवार्य है उल्लिखित पैकिंग के अनुरूप दरें न होने पर उक्त दरें स्वीकार नही की जायेगी।

6. औषधियों की आपूर्ति निविदा प्रपत्र में उल्लिखित सन्दर्भ ग्रन्थो के अनुसार ही तैयार की जायेगी जिस हेतु आपूर्ति करने के समय औषधि आपूर्ति कर्ता द्वारा पृथक से शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7. वित्तीय निविदा में औषधिया की दरे मांगी गयी है। वित्तीय निविदा में प्रत्येक औषधियों में L1 के अनुसार निर्धारण करते हुए क्रय आदेश निर्गत किया जायेगा। कय आदेश औषधियों के कुल योग के अनुसार निर्गत नहीं होगा।

माध्यस्थम खंड (ARBITATOR)

यदि इस संविदा के अधीन या संविदा के निबंधनों और शर्तों के निर्वसन के संबध में केता और निविदादाता के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो माध्यस्थम के रूप में कार्य करने के लिए उत्तराखण्ड शासन द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति का निर्णय इस संविदा के दोनो पक्षकारो के लिए अंतिम रूप से बाध्यकारी होगा। माध्यस्थम खंड (ARBITATOR) उपलब्ध करानें के सम्बन्ध में विभाग की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

04/12/25

(डॉ0 विजय कुमार जोगदण्डे)
निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें,
उत्तराखण्ड देहरादून।

संलग्नक "क"

चैक लिस्ट

ऑन लाइन तकनीकी निविदा एवं शील बन्द लिफाफे के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण–पत्रों की सूची क्रमानुसार

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या से	तक
1	केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा निर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का प्रमाण–पत्र की प्रति।		
2	उद्योग विभाग द्वारा जारी लाइसेन्स की प्रति		
3	सम्बन्धित फर्म का **WHO-GMP** अथवा **AYUSH Premium Mark Certificate** की प्रति		
4	मूल औषधि निर्माण लाइसेन्स, अद्यावधिक नवीनीकरण प्रमाण पत्र एवं औषधियोंं की अनुमोदित सूची		
5	जी0एम0पी0 प्रमाण–पत्र अद्यावधिक नवीनीकरण प्रमाण पत्र		
6	जी.एस.टी. पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं विगत तीन माह का जी0एस0टी0 रिर्टन की प्रति		
7	फर्म के नाम का आयकर विभाग का PAN नम्बर तथा विगत तीन वर्षो के आयकर रिर्टन की छाया प्रति।		
8	निविदा में उल्लिखित नियम व शर्ते के अनुसार आपूर्ति करने हेतु सहमति पत्र (संलग्नक "ख" के अनुसार नोटरी द्वारा प्रमाणित रू0 100/– स्टाम्प पेपर पर सहमति प्रपत्र पर)		
09	एफ0ओ0आर0 आपूर्ति सम्बन्धी स्वघोषित प्रमाण पत्र संलग्लक "ग" के अनुसार।		
10	औषधियों की आपूर्ति, निर्धारित समयान्तर्गत आपूर्ति न करनें पर प्रतिदिन की दर से देय पेनल्टी, औषधियों की आपूर्ति न करनें की दशा में फर्म द्वारा जमा धरोहर धनराशि जब्त करनें व फर्म को ब्लैक लिस्टिड करने हेतु सहमति पत्र (संलग्नक "घ" के अनुसार नोटरी द्वारा प्रमाणित रू0 100/– स्टाम्प पेपर पर सहमति प्रपत्र पर)		
11	काली सूची में (Blacklisted) न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ पत्र नोटरी द्वारा सत्यापित संलग्नक " च " के अनुसार नोटरी द्वारा प्रमाणित रू0 100/– स्टाम्प पेपर पर सहमति प्रपत्र पर)		
12	मानकों के अनुरूप गुणवत्ता न पाये जाने पर आपूर्ति की गयी औषधियों को अपने निजी व्यय पर वापस प्राप्त करने सम्बन्धी स्वघोषित प्रमाण पत्र संलग्नक– "छ" के अनुसार।		
13	नॉन कन्विक्शन प्रमाण (NON- CONVICTION) पत्र जो एक वर्ष से पुराना न हो।		
14	निविदा शल्क का बैंक ड्राफ्ट (रू0–5000.00 मात्र)		
15	धरोहर राशि की एफ0डी0आर0 (जिन फर्मो द्वारा पूर्व मे आवेदन किया गया था उनके द्वारा पूर्व मे जमा की गयी एफ0डी0आर0 मान्य होगी)।		

दिनॉकः–

स्थानः–

निविदा दाता के हस्ताक्षर.........

नाम : ....

संलग्नक "ख" (100रूपये के स्टाम्प

निविदा में उल्लिखित नियम एवं शर्तो के अनुसार आपूर्ति करनें की सहमति का अनुबन्ध पत्र

सेवामें,

निदेशक
आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महोदय,

निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून की विज्ञप्ति संख्या.............................. दिनांक..........................के सन्दर्भ में राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों, आयुष विंगों तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित आयुष विंगो हेतु शास्त्रीय औषधियों की आपूर्ति हेतु सभी नियम व शर्ते पढ़ ली हैं, जिसके आधार पर आपूर्ति करने हेतु सहमति प्रदान करता हूँ, तथा साथ ही धरोहर राशि के रूप में रू0 .... (रू0 .... मात्र) एफ0डी0आर0 संख्या ....दिनांक...बैंक................ ....संलग्न है। यदि फर्म द्वारा निविदा की शर्तों का पालन नहीं किया जाता है, औषधियों की आपूर्ति निर्धारित समय पर नही की जाती है और इस प्रकार जमा धरोहर राशि को निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून के पक्ष में जब्त कर लिया जाता है तो इसका उत्तरदायित्व स्वयं मेरा/हमारा होगा साथ ही फर्म को ब्लैक लिस्टिड करने की कार्यवाही किये जाने के लिये विभाग स्वतंत्र होगा, इस पर फर्म को कोई आपत्ती नही होगी।

दिनांक: ....

स्थान:....................
पताः ....

हस्ताक्षर ....
नाम...
सील...

संलग्नक–"ग"

आपूर्ति के सम्बन्ध में स्व– घोषित प्रमाण–पत्र

मै/हम मैसर्स——————————————————— एतदद्वारा घोषित करता हूँ/करते है कि निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें,उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा औषधियों की आपूर्ति सम्बन्धी आपूर्ति आदेश दिये जाने की दशा में मेरी/हमारी फर्म द्वारा आदेश में इंगित उत्तराखण्ड के जनपदीय जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी कार्यालयों में एफ0ओर0आर0 के आधार पर आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।

दिनांक–
स्थान–

हस्ताक्षरकर्ता
अधिकृत प्रतिनिधि का नाम
फर्म का नाम

संलग्न "घ" (100रूपये के स्टांम्प पर)

पैनल्टी से सम्बन्धि सहमति/अनुबन्ध पत्र

मै/हम मैसर्स————————————————————एतदद्वारा घोषित करता हूँ/करते है कि निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें,उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा औषधियों की आपूर्ति, आदेश में इंगित अवधि में सुनिश्चित की जायेगी। निश्चित अवधि में आपूर्ति न हो पाने की दशा में निविदा की सेवा शर्तो के अनुसार प्रतिदिन की दर से देय पेनल्टी के लिए मै/हमारी फर्म पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी। औषधियों की आपूर्ति न करनें की दशा में फर्म द्वारा जमा धरोहर धनराशि जब्त करनें व फर्म को ब्लैक लिस्टिड करने की कार्यवाही किये जाने के लिये विभाग स्वतंत्र होगा व फर्म को इस पर कोई आपत्ती नही होगी।

दिनांक–
स्थान–

हस्ताक्षरकर्ता
अधिकृत प्रतिनिधि का नाम
फर्म का नाम

ंम्प पर)

संलग्न "च" (100रूपये के स्टांम्प पर)

सम्बन्धित फर्म को काली सूची (Black Listed) मे घोषित नही किया गया सम्बन्धी प्रारूप

मै/हम मैसर्स———————————————एतदद्वारा घोषित करता हूँ/करते है कि निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा औषधियों की आपूर्ति हेतु प्रसारित निविदा संख्या– दिनांक– के क्रम मे हमारी फर्म बेदाग है। असंतोषजनक, प्रदर्शन, सामान्य या विशिष्ट निर्देशो के उल्लंघन भ्रष्ट/ धोखाधडी या अन्य किसी अनैतिक व्यापार प्रथाओ के कारण केन्द्र सरकार/राज्य सरकार सीपीएसयू0/पी0एस0यू0 के द्वारा कभी भी अपात्र (Black Listed) घोषित नही किया गया है।

दिनांक–
स्थान–

हस्ताक्षरकर्ता
अधिकृत प्रतिनिधि का नाम
फर्म का नाम

संलग्न "छ"

स्वः घोषित प्रमाण पत्र

मै/हम मैसर्स————————————————एतदद्वारा घोषित करता हूँ/करते है कि निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा औषधियों की आपूर्ति हेतु प्रसारित निविदा संख्या– दिनांक– के क्रम मे यदि हमारी फर्म द्वारा आपूर्ति की गयी औषधिया मानको के अनुरूप गुणवत्तायुक्त नही पायी जाती है तो ऐसी औषधियो को फर्म के द्वारा अपने निजी व्यय पर वापिस प्राप्त करते हुए ई–निविदा से सम्बन्धित शर्तो के अनुसार 10 दिवस के अन्तर्गत उच्च गुणवत्तायुक्त औषधियो की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।

दिनांक–
स्थान–

हस्ताक्षरकर्ता
अधिकृत प्रतिनिधि का नाम
फर्म का नाम

संलग्नक "ज"

औषधि की आपूर्ति की आपूर्ति हेतु विवरण का नमूना।

क्र0स0	आपूर्ति औषधि हेतु पेटी का क्रमांक	पेटी मे रखी गयी औषधि का नाम	मात्रा	पेटी मे रखी गयी औषधियो की मात्रा
1	पेटी संख्या–01	Amritarishta	200 ml	100 नग
		Ashwagandharishta	200 ml	250 नग
		Dashamularishta	200 ml	150 नग
		Drakshasava	100 ml	50 नग
2	पेटी संख्या–02	Kumaryasava	200 ml	250 नग
		Lohasava	200 ml	200 नग
		Puga Khand	150 ml	200 नग
		Sarasvatarishta	100 ml	150 नग
3	पेटी संख्या–02			

दिनांक–
स्थान–

हस्ताक्षरकर्ता
अधिकृत प्रतिनिधि का नाम
फर्म का नाम

AYURVED PSU

1	Panchatikta Ghrita	AFI	100 gm	28	Gandharvahasta Taila	AFI	50 ml
2	Phala Ghrita	AFI	100 gm	29	Jatyadi Taila	AFI	25 ml
3	Sukumar Ghrita	AFI	100 gm	30	Kshirbala Taila / Kshirbala Taila Avarti (Shatapaki)	AFI	50 ml
4	Indu kanta Ghrita	AFI	100 gm	31	Kottamachukkadi Taila	AFI	50 ml
5	Tiktaka Ghrita	AH	100 gm	32	Kasisadi Taila	AFI	25 ml
6	Triphala Ghrita	AFI	100 gm	33	Mahanarayan Taila	AFI	50 ml
7	Avipattikara Churna	AFI	50 gm	34	Nalpamaradi Taila	AFI	25 ml
8	Balachaturbhadra Churna	AFI	25 gm	35	Panchaguna Taila	AFI	50 ml
9	Eladi Churna	AFI	25 gm	36	Prasarini Taila	AFI	50 ml
10	Hingvashtaka Churna	AFI	50 gm	37	Saindhavadi Taila	AFI	50 ml
11	Lavanabhaskara Churna/ Bhaskarlavan churna	AFI	50 gm	38	Shadabindu Taila	AFI	10 ml
12	Pushyanuga Churna	AFI	25 gm	39	Apamarga Kshar	AFI	10 gm
13	Sitopaladi Churna	AFI	25 gm	40	Yavakshar	AFI	10 gm
14	Talishadya Churna	AFI	25 gm	41	Ksharsutra	CD	30 Cm thread of 20 No.
15	Jatiphaladya Churna	AFI	25 gm	42	Dashanga Lepa	AFI	50 gm
16	Amalaki Churna	API	50 gm	43	Chitrakadi Gutika	AFI	5 gm
17	Arjuna Churna	API	50 gm	44	Eladi Gutika	AFI	10 gm
18	Ashvagandha Churna	API	50 gm	45	Lavangadi Vati	AFI	5 gm
19	Haritaki Churna	API	50 gm	46	Lahsunadi Vati	AFI	10 gm
20	Punarnava Churna	API	50 gm	47	Prabhakara Vati	AFI	5 gm
21	Shunthi Churna	API	25 gm	48	Rajahpravartini Vati	AFI	5 gm
22	Yashtimadhu/ Madhuyashti/ Yashti Churna	API	50 gm	49	Sanjivani Vati	AFI	5 gm
23	Anutaila	AFI	10 ml	50	Punarnavadi Mandura	AFI	5 gm
24	Apamargkshara Taila	AFI	10 ml	51	Arogyavardhini Vati/Rasa	AFI	5 gm
25	Bala Taila	AFI	50 ml	52	Kamadudha Rasa	RYS	5 gm
26	Bhringaraja Tail	BR	50 ml	53	Shankha Vati	AFI	5 gm
27	Dhanvantar Taila/Dhanvantar Taila Avarti	AFI	10 ml	54	Shvasakuthara Rasa	AFI	5 gm

PSU UNANI

1	Arq-e-Ajeeb 05 ml	ml
2	Arq-e-Kasni 200 ml	ml
3	Arq-e-Mako 200 ml	ml
4	Habb-e-Asgand 30 pills	pills
5	Habb-e-Azaraqi 30 pills	pills
6	Habb-e-Bawaseer Damiya 30 pills	pills
7	Habb-e-Bukhar 30 pills	pills
8	Habbe Irqun Nisa 30 pills	pills
9	Habb-e- Marwareed 30 pills	pills
10	Habb-e-Kabid Naushadri 30 pills	pills
11	Habb-e-Mudir 30 pills	pills
12	Habb-e-Muqil 30 pills	pills
13	Habb-e-Mussafi-e-Khoon 30 pills	pills
14	Habb-e-Raal 30 pills	pills
15	Habb-e-Rasaut 30 pills	pills
16	Habb-e-Shifa 30 pills	pills
17	Habb-e-Suranjan 30 pills	pills
18	Habb-e-Surfa 30 pills	pills
19	Habb-e-Tankar 30 pills	pills
20	Habb-e-Tursh Mushtahi 30 pills	pills
21	Qurs-e-Deedan 30 pills	pills
22	Qurs-e-Habis 30 pills	pills
23	Qurs-e-Mulaiyin 30 pills	pills
24	Qurs-e-Ziabetus Khas 30 tabs	tabs
25	Kushta-e-Faulad 10 gm	gm
26	Kushta-e-Hajr-ul-Yahood 10 gm	gm
27	Itrifal-e-Ghudadi 100 gm	gm
28	Itrifal-e-Kishneezi 100 gm	gm
29	Itrifal-e-Muqawwi Dimagh 100 gm	gm
30	Itrifal-e-Shahtra 100 gm	gm